रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126] नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2015/वैशाख 23, 1937
No. 126] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2015/VAISAKHA 23, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2015

सं. 25035/101/2014-आरएस.—जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 235 में सेवलाईफ फाउंडेशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में अपने आदेश दिनांक 29 अक्तूबर, 2014 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय विधान मंडल द्वारा उचित विधि निर्माण किए जाने तक गुड सेमेरिटन के बचाव के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है;

और जबकि केन्द्रीय सरकार, सड़क दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने के लिए उनके द्वारा की जा रही कार्रवाइयों के संबंध में गुड सेमेरिटन को उत्पीड़न से बचाव के लिए इसे आवश्यक समझती है तथा, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा गुड सेमेरिटन के बचाव के लिए अस्पतालों, पुलिस और अन्य सभी प्राधिकरणों को अनुपालन किए जाने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करती है, अर्थात्:-

1. (1) किसी सड़क दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी सहित कोई भी बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन किसी घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में लेकर जा सकता है, तथा उस बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को तुरंत जाने की अनुमति दे दी जाएगी और उस बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, सिवाय सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी के, जिसे पता बताने के बाद जाने दिया जाएगा।

(2) सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने हेतु अन्य नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट रूप में प्राधिकरणों द्वारा बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को उचित ईनाम या मुआवजा दिया जाएगा।

(3) बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन किसी सिविल तथा आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(4) कोई बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन जो सड़क पर घायल पड़े व्यक्ति के लिए पुलिस को सूचना देने अथवा आपातकालीन सेवाओं हेतु फोन कॉल करता है, उसे फोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना नाम और व्यक्तिगत विवरण देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

(5) गुड सेमेरिटन का नाम और संपर्क विवरण जैसी व्यक्तिगत सूचना को बताया जाना स्वैच्छिक तथा वैकल्पिक बनाया जाएगा। ऐसा अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराए गए मैडिको लीगल केस (एमएलसी) फार्म में भी किया जाएगा

(6) उन लोक अधिकारियों के विरूद्ध संबंधित सरकार द्वारा अनुशासनात्मक या विभागीय कार्रवाई की जाएगी जो किसी बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को अपना नाम अथवा व्यक्तिगत विवरण देने के लिए बाध्य करेंगे अथवा धमकाएंगे।

(7) यदि कोई बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन जिसने स्वैच्छिक रूप से उल्लेख किया है कि वह उस दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी भी है तथा पुलिस द्वारा अथवा मुकदमे के दौरान जांच-पड़ताल के प्रयोजनों के लिए उसका जांच किया जाना अपेक्षित है तो उस बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन से एक ही बार पूछताछ की जाएगी तथा राज्य सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जाएंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को उत्पीड़ित अथवा धमकाया ना जाए।

(8) जांच की विधियां, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 284 के अंतर्गत किसी आयोग द्वारा, अथवा कथित संहिता की धारा 296 के अनुसार औपचारिक तौर से शपथ-पत्र के द्वारा हो सकती है तथा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जाएंगी।

(9) गुड सेमेरिटन को उत्पीड़न से बचाने अथवा असुविधा से दूर रखने के लिए, बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन एवं उपर्युक्त (1) दिशा-निर्देश में संदर्भित व्यक्ति जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, से पूछताछ के दौरान विडियो कांफ्रेंसिंग का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाएगा।

(10) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिशा-निर्देश जारी करेगी जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि कोई भी पंजीकृत सार्वजनिक और निजी अस्पताल बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को न रोके अथवा पंजीकरण और भर्ती लागतों के लिए भुगतान की मांग न करें, जब तक कि गुड सेमेरिटन घायल व्यक्ति के परिवार का सदस्य अथवा सगा-संबंधी न हो तथा पं. परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य [1989] 4 एससीसी 286 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में घायल व्यक्ति का तत्काल इलाज किया जाए।

(11) सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित किसी आपातकालीन परिस्थिति में, जिस समय डाक्टर से चिकित्सीय देखभाल प्रदान किये जाने की आशा की जाती है, किसी डाक्टर द्वारा प्रतिक्रिया के अभाव को भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यवसायिक आचार, शिष्टाचार और नैतिक) विनियम, 2002 के अध्याय-7 "व्यवसायिक कदाचार" के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा तथा उस डा. के विरूद्ध कथित विनियमन के अध्याय-8 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(12) सभी अस्पताल इस आशय का अपने प्रवेश द्वार पर हिंदी, अंग्रेजी और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की देशी भाषा में एक चार्टर प्रकाशित करेंगे कि वे बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को नहीं रोकेंगे अथवा किसी पीड़ित के उपचार के लिए उनसे धन जमा कराने के लिए नहीं कहेंगे।

(13) यदि कोई बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन चाहे तो अस्पताल उसे घायल व्यक्ति को अस्तपाल में लाने तथा समय और स्थान के संबंध में, उस गुड सेमेरिटन को एक पावती उपलब्ध कराएगा तथा ऐसी पावती को राज्य सरकार द्वारा एक मानक फार्मेट में तैयार किया जाएगा तथा उपयुक्त समझे जाने पर बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी अस्पतालों में इसे वितरित किया जाएगा।

(14) सभी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन तत्काल रूप से किया जाएगा तथा इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन न किए जाने अथवा उल्लंघन किए जाने के मामले में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।

(15) इन दिशा-निर्देशों से युक्त एक पत्र केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत सभी अस्पतालों और संस्थानों में जारी किया जाएगा जिसमें इस अधिसूचना की राजपत्रित प्रति भी संलग्न होगी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इन दिशा निर्देशों के बारे में आम जनता को सूचित किए जाने हेतु सभी राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे।

2. बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन के बचाव के संबंध में उपर्युक्त दिशा-निर्देश, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 134 के तहत यथाविनिर्दिष्ट सड़क दुर्घटना में किसी मोटर वाहन के चालक के दायित्व के प्रति पूर्वाग्रह की धारणा रहित हैं।

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव